ग्राम पंचायत कोटला, विकास खण्ड बन्जार, जिला कुल्लू के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/13 से 3/16
भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण दायित्व, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कोटला, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

(i) प्रधानः–

Sr.No.	Name	Period
1	Sh. Tek Singh	1.4.13 to 21.1.16
2	Sh. Tikam Ram	22.1.16 to 31.3.16

(ii) सचिवः–

1	Sh. Dule Singh	1.4.13 to 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत कोटला के लेखाओं अवधि 4/13 से 3/16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करना	–
2	7	रेत की खरीद पर अधिक भुगतान	0.03
3	8	जे0बी0सी0 के प्रयोग पर अधिक भुगतान व अन्य अनियमितताऐं	–

4	10	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	0.31
5	11	अनुदान का अवरोधन	8.60
6	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय	2.52

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत कोटला, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 25.3.17 से 5.4.17 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 2/14, 8/14 व 2/16 तथा 3/14, 11/14 व 9/15 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत कोटला, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2017-35 दिनांक 3.4.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोटला से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत कोटला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(i) स्वः स्त्रोत व अनुदानः– ग्राम पंचायत कोटला के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण, बैंक पास बुक संख्या 20010011386 के अनुसार निम्न प्रकार से है परिशिष्ट–1 (क व ख):–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शशेष
2013–14	835482	889979	26978	1752439	737943	1014496

2014–15	1014496	1158657	39382	2212535	1121768	1090767
2015–16	1090767	1833949	46056	2970772	1461619	1509153

(ii) लाडाः– बैंक पास बुक संख्या 100057115 व 50060105386 के अनुसार

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	–	120000	445	120445	96532	23913
2014–15	23913	369860	514	394287	328634	65653
2015–16	65653	2594093	6756	2666502	2403672	262830

(iii) मनरेगाः– बैंक पास बुक संख्या 87380100042487 के अनुसार

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	111480	1277480	4199	1393159	1319157	74002
2014–15	74002	100000	2790	176792	112389	64403
2015–16	64403	–	501	64904	64643	261

4.1 रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत कोटला की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम–7 (3) व 10 (1) के अनुसार नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार रोकड़ बही में अन्तिम शेष की गणना तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक खातों में जमा शेष राशियों का रोकड़ बही के अन्तिम शेष से मिलान करना अनिवार्य था। अतः रोकड़ बहियों में प्रत्येक वर्ष अथशेष/अन्तिम शेष की गणना न करना तथा बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होंने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों का निर्माण नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इसका मिलान बैंक खातों में जमा राशि से किया जाए।

4.2 स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विवरणः–

ग्राम पंचायत कोटला द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत कोटला के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–2 (क से ग)** में दिया गया है।

5 **निर्धारित सीमा से अधिक नगद राशि का रखनाः—**

पंचायत की मुख्य रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 1.2.16 से 30.3.16 तक ₹10253 को हस्तगत रखा गया था, जोकि (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 **पंचायत निधि से मनरेगा को ₹3752 के भुगतान बारेः—**

पंचायत की मुख्य रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि पृष्ठ संख्या 75, दिनाँक 9.6.15 को श्रीमती नीरा देवी को ₹1820 व श्री भोला राम को ₹1932 का भुगतान मनरेगा के तहत कार्य करने पर पंचायत निधि से किया गया दर्शाया गया है जबकि उक्त भुगतान मनरेगा के तहत प्राप्त अनुदान की राशि से किया जाना अपेक्षित था। अतः ₹3752 का भुगतान पंचायत निधि से करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए, राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 **रेत की खरीद पर ₹3000 का अधिक भुगतानः—**

ग्राम पंचायत कोटला की लाडा की रोकड़ बही व बैंक पास बुक का मिलान करने पर पाया गया कि पृष्ठ संख्या 2, दिनांक 9.1.14 द्वारा मै0 बड़ा छमाहूँ वर्क कोन्ट्रेक्टर, बालीचौकी से बिल संख्या 034, दिनांक 21.1.14 द्वारा ₹5510 की रेत का क्रय किया गया तथा चैक संख्या 118762 द्वारा श्री प्रशांत कुमार को ₹5510 की जगह ₹8510 का भुगतान किया गया जोकि वास्तविक बिल से ₹3000 अधिक था। अतः अधिक भुगतान की ₹3000 की वसूली उचित माध्यम/स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 **जे0बी0सी0 द्वारा कार्य करवाने पर ₹787 का अधिक भुगतान व अन्य अनियमितताओं बारेः—**

अंकेक्षण अवधि में नमूना जाँच करने पर पाया गया कि लाडा के तहत प्राप्त अनुदान की राशि से रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 24, दिनाँक 24.9.15 को खाता बाईडिंग रोड चूलीगाड़ से कोटला के निर्माण पर मै0 बलदेव ठाकुर, पनारसा को बिल संख्या 307, दिनाँक 15.7.15 के तहत जे0बी0सी0 का दिनांक 10.7.15 से 15.7.15 तक 50 घन्टे के ₹900 प्रति घन्टे के

अनुसार ₹45000 के स्थान पर ₹45787 का भुगतान किया गया जोकि ₹787 अधिक था। अतः अधिक भुगतान की राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाए।

(ii) उक्त कार्य के लिए आमन्त्रित कोटेशने जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थी। अतः प्राप्त कोटेशन को आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

(iii) बिल संख्या 307, दिनांक 12.7.15 में दर्शाए गए 50 घन्टे के कार्य को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं करवाया गया था, तथा न ही भुगतान की राशि को ग्राम सभा द्वारा कार्यवाही रजिस्टर में पारित किया गया था। अतः उक्त अनियमितताओं का उचित स्पष्टीकरण अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करवाया जाए।

9 बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करके सामान्य तौर पर कार्यवाही रजिस्टर में ही तैयार किया गया था। अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार न बनाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 पंचायत राजस्व ₹0.31 लाख की वसूली शेषः–

पंचायत की गृहकर से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.16 तक पंचायत के राजस्व ₹31325 की वसूली शेष थी। **(परिशिष्ट–3)**

(i) गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	माँग	योग	प्राप्ति	अन्तिम शेष
2013–14	4700	8550	13250	4875	8375
2014–15	8375	17950	26325	3500	22825
2015–16	22825	17950	40775	9450	31325

अतः उपरोक्त गृहकर की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

11 अनुदान ₹8.60 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–4** के अनुसार दिनांक 31.3.16 को ₹860341 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

12 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्यों के व्यय वाउचरों की जाँच करते समय पाया गया कि **परिशिष्ट–5** में दिए निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थे। अतः इन निर्माण कार्यों के प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.52 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रयः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "6"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹251840 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचाकिताओं अर्थात निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार निम्न अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	Work Register
2	T.A.Check Register-Form 20
3	Stationary Register
4	Cheque issue/receipt Register
5	Bill Register-Form 13
6	Temporary Advance Register

15 मनरेगा के तहत जारी मस्ट्रोलों को पूर्ण किए बिना भुगतानः—

मनरेगा के तहत जारी मस्ट्रोल में दिए गए कालम में प्रत्येक आवेदक को हस्ताक्षर करना व जिस पंचायत सदस्य को कार्य की देख रेख के लिए मस्ट्रोल जारी किया जाता है को मस्ट्रोल की अवधि में प्रत्येक दिन आवेदकों की उपस्थिति सत्यापित करना अपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि में नमूना जाँच में पाया गया कि निम्न मस्ट्रोलों में आवेदकों के हस्ताक्षर नहीं लिए गए थे तथा कुछ मामलों में पंचायत सदस्य के द्वारा भी मस्ट्रोल की प्रत्येक दिन उपस्थिति सत्यापित नहीं थी। अतः मस्ट्रोलों को पूर्ण करवाए बिना किया गया भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मस्ट्रोल को पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए व भविष्य में मस्ट्रोल को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	मस्ट्रोल संख्या	अवधि	राशि (₹)
1	6151	6.3.14 से 21.3.14	13524
2	6152	—यथोपरि—	21114
3	6154	—यथोपरि—	6486
4	6161 से 6164	—यथोपरि—	61272
5	2779	22.10.14 से 5.11.14	19866
6	3193	22.10.14 से 5.11.14	19404
7	3196	—यथोपरि—	14938
8	3194	—यथोपरि—	14938
9	1702 से 1706	24.8.15 से 10.9.15	21436

10	1581	21.8.15 से 5.9.15	19926
11	1582 व 1583	–यथोपरि–	38714
12	1584 व 1585	–यथोपरि–	43092

16 स्टॉक/स्टोर का नियमानुसार लेखांकन न करनाः–

पंचायत की स्टॉक रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा क्रय विभिन्न सामानों की प्रविष्टियाँ एक ही पन्ने में की गई है जोकि इस सन्दर्भ में विहित प्रक्रियानुसार अनुचित है। अतः प्रत्येक मद का पृथक–2 खाता पृथक–2 पन्ने पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि यह सुगमता से ज्ञात हो सके कि पंचायत के पास अमुक तिथि को अमुक वस्तु की कितनी प्रमात्रा शेष थी/है।

17 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई।

18 निष्कर्षः– पंचायत की रोकड़ बहियों व स्टॉक रजिस्टरों के रख रखाव में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(iii) 13/2017–खण्ड–1–4684–4687,दिनाँक 26–07–17
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत कोटला, विकास खण्ड बन्जार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बन्जार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046